न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **35/25 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/115

1. गोविन्दसिंह पुत्र हेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क्त, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. भंवरसिंह पुत्र मोडसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. शम्भूसिंह पुत्र मोड़सिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. सोहनसिंह पुत्र हेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाबसिंह पुत्र जवानसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. भगवतसिंह पुत्र जवानसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. भेरूसिंह पुत्र चमनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. भोपालसिंह पुत्र जवानसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. लच्छू पत्नी जवानसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. लालसिंह पुत्र देवीसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
7. कमलाकुंवर पुत्री हेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. कैलाशकुंवर पुत्री हेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
9. गमेरकुंवर पत्नी स्व० मोडसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. डूलेसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. धनसिंह पुत्र मोड़ सिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. बेबुकुंवर पुत्री हेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

13. मानकुंवर पुत्री मोडसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
14. मोहनकुंवर पुत्री हेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
15. शंकर कुंवर पत्नी प्रतापसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
17. पटवारी, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री अधिवक्ता श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

2. श्री नरेन्द्र वीरवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.12.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बामणिया खेत, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 214 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2, 3 व विपक्षी संख्या 9, 11, 13 प्रत्येक के नाम 1/40 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 व विपक्षी संख्या 7 प्रत्येक के नाम 17/72 हिस्सा, विपक्षी संख्या 8, 12, 14 प्रत्येक के नाम 1/72 हिस्सा, विपक्षी संख्या 10 के नाम 25/144 हिस्सा, विपक्षी संख्या 15 के नाम 1/16 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है। आराजी नम्बर 190 रकबा 0.1295 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/2 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 के नाम 1/6 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है।
2. यह कि उक्त वर्णित हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 7 से 15 की सहखातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये किस्म रास्ता आराजी नम्बर 179 के सटमा दक्षिण दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी नम्बर 190 के पश्चिमी भू भाग पर उत्तर से दक्षिण की और जाता हुआ 20 फीट चौड़ा रास्ता हम प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 214 के उत्तरी सीमा के सटमा तक बना हुआ है जिससे होकर हमारे पूर्वज एवं [illegible] के पश्चात् हम प्रार्थीगण हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर [illegible] इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

हैं तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से हमारे पूर्वज एवं हम प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं और वर्षों से हमारे पूर्वज एवं हम प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम पर है और इन सभी ने आपस में मिलीभगत कर दिनांक 05–03–2025 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर आये और हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजी पर बने रास्ते पर अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं माने बल्कि हमारे साथ लड़ाई झगडा किया है। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से हम प्रार्थीगण एवं हमारे परिजन अपनी–अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रहे है और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड. वगैर ही करवा सक रहे हैं जिससे हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही हैं।

3. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05–03–2025 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 6 ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से आराजी नम्बर 190 पर स्थित रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया और हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया। जिसपर हमने विपक्षी संख्या 1 से 6 को उनकी भूमि में स्थित रास्ते से हमारी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में कोई अवरोध पैदा नही करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 6 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया की हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 214 रकबा 0.3399 हैक्टयर भूमि पर पहुँचने तक के लिए आराजी नम्बर 190 की भूमि पर अर्थात संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित भाग पर 20 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल दरामद तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 16 व 17 को आदेशित किया जावे और रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु हम प्रार्थीगण को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 6 को इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 6 उनकी भूमि में स्थित उक्त रास्ते (जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया गया है) से होकर प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थीगण को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नही करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 5, 7 से 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 12 फौत हो जाने से तथा उसके वारिस पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने से नाम तर्क किया गया। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथनो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की किस्म रास्ता आराजी नम्बर 179 से विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी नम्बर 190 के पश्चिम भू भाग पर उत्तर से दक्षिण की और जो 20 फीट का रास्ता बताया गया है और जो प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 214 के उत्तरी सीमा के सटमा तक बना हुआ है। जो हमारे पूर्वज एवं हमारे पूर्वजों के पश्चात हम प्रार्थीगण हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आते जाते रहे है और इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद बीज आदि बैलगाडी आदि ले जाते रहे है और इसी अनुसार रास्ते का सदीप से उपयोग–उपभोग करते रहे हैं। बल्कि प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी नम्बर 190 में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है और न ही आराजी नम्बर 190 से प्रार्थीगण अपने खेतो में आराजी नम्बर 214 में कभी कोई कृषि उपज बैलगाडी अथवा ट्रेक्टर से लेकर गये है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 214 में आने–जाने, कृषि उपज लाने–ले जाने आदि के लिए प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 188 का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते थे जो लगभग 25 फिट के करीब है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 188 में से ही होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 214 तक आता है, इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 5 एवं विपक्षी संख्या 7 से 15 द्वारा सदीप से किया जा रहा है। इसी रास्ते के द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज अपनी खातेदारी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

आराजी संख्या 214 में आते–जाते थे। प्रार्थीगण द्वारा कुछ वर्षों पूर्व अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 188 जो आम रास्ते की आराजी संख्या 179 से सटमा है और उक्त रास्ते की आराजी संख्या 179 स्टेट हाईवे से जुडा हुआ होने के कारण प्रार्थीगण ने अपनी आराजी संख्या 188 के अन्दर से आने–जाने का रास्ता स्वयं अपने स्तर पर पत्थर की कोट बना कर बंद कर दिया, जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 214 में आने–जाने के लिए प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 6 की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 190 में से 20 फिट के रास्ते की मांग की जा रही है जो गलत है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 214 में कृषि उपज लाने–ले जाने, बैलगाडी ट्रेक्टर आदि ले जाने के लिए प्रार्थीगण द्वारा अपनी ही खातेदारी कास्तकारी की कृषि भूमि 188 का उपयोग करते आ रहे थे जो प्रार्थीगण की आराजी संख्या 214 तक जाता था, जिसको प्रार्थीगण द्वारा ही अपने स्तर पर बंद कर दिया गया और प्रार्थीगण द्वारा केवल विपक्षी संख्या 1 से 6 को परेशान करने की गरज से विपक्षीगण की आराजी संख्या 190 में से अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने का रास्ता मांगने हेतु माननीय न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे है। विपक्षी सख्या 1 से 6 द्वारा प्रार्थीगण के साथ कभी भी कोई झगडा नहीं किया गया, जबकि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 6 को आये दिन अपनी आराजी नम्बर 188 से विपक्षी 1, 2, 4, 6 की आराजी संख्या 216 में आने–जाने, कृषि उपज लाने–ले जाने एवं बेलगाडी आदि ले जाने को लेकर हमेशा विवाद करते रहते एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 6 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 216 के पूर्वी भाग की तरफ प्रार्थीगण की आराजी संख्या 188 से सटमा तारबंदी–बाड आदि करने को लेकर लड़ाई–झगड़ा करते और विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रार्थीगण के साथ कोई लड़ाई–झगडा नहीं किया गया।

6. निवेदन किया की विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी संख्या 190 में होकर के कोई रास्ता नहीं निकलता है और ना ही प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी संख्या 190 में से किसी भी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी संख्या 190 में आने–जाने हेतु प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी संख्या 188 का उपयोग करते आ रहे थे किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त आराजी आबादी सड़क की ओर से उक्त आराजी पर प्लाटिंग करने की मानसिकता के कारण उक्त आराजी संख्या 188 में से प्रार्थीगण ने अपनी आराजी संख्या 190 में आने–जाने का रास्ता स्वयं पत्थर की कोट बनाकर बंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए प्रार्थीगण स्वयं की आराजी संख्या 188 का उपयोग–उपभोग करता आ रहा था किन्तु प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की उक्त आराजी संख्या 188 में से आने–जाने वाले रास्तें को स्वयं पत्थर की कोट बनाकर के बंद कर दिया।

7. अंत में निवेदन किया की विपक्षी संख्या 2 से 4 की ओर से निवेदन है विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी संख्या 190 में होकर के कोई रास्ता नहीं निकलता है और ना ही प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी संख्या 190 में से किसी भी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी सख्या 214 में आने–जाने हेतु प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी संख्या 188 का उपयोग करते आ रहे थे किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त आराजी आबादी सडक के पास आने से उक्त आराजी पर प्लाटिंग करने की मानसिकता के कारण उक्त आराजी संख्या 188 में से प्रार्थीगण ने अपनी आराजी संख्या 214 में आने–जाने का रास्ता स्वयं पत्थर की कोट बनाकर बंद कर दिया। जिससे विपक्षीगण संख्या 2 और 4 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 190 से प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जावे और नहीं राजस्व रिकार्ड में अंकित कर राजस्व नक्शे में अलम बरामद कर तरमीम किया जावें।

8. प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक के खसरा संख्या 214 रकबा 0.3399 हेक्टेयर भूमि खातेदार कमलाकुवर पुत्री हेमसिंह 17/72, कैलाश कुंवर पुत्री हेमसिंह 1/72, गनेरकुंवर पत्नी रव मोडसिए 1/40, गोविन्दसिंह पुत्र हेमसिंह 1/8, बुलेसिंह पुत्र प्रतापसिंह 25/144, धनसिंह पुत्र मोडसिंह 1/40, बेनुकुवर पुत्र हेमसिंह 1/72, भंवरसिंह पुत्र मोडसिंह 1/40, पुत्री मोडसिंह 1/40, मोहनकुवर पुत्री हेमसिंह 1/72, शंकरकुंवर पत्नी प्रतापसिंह 1/16, शम्भूसिंह पुत्र मोडसिंह 1/40, सोहनरिक पुत्र हेमसिंह 17/72, जाति राजपूत सा. देह के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा बामणियाखेत प.ह. डबोक के खसरा संख्या 190 गुलाबसिंह पुत्र जवानसिंह 1/12, भगवतसिंह पुत्र जवानसिंह 1/12, भेरूसिंह पुत्र चमनसिंह 1/2, भोपालसिंह पुत्र जवानसिंह 1/[illegible] पत्नी जवानसिंह 1/12, लालसिंह पुत्र देवीसिंह 1/6 जाति राजपूत सा. देह के नाम रिकार्ड है। प्रार्थीगण को खातेदारी आराजी नम्बर 214 में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके एवं राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। आराजी नम्बर 214 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ विपक्षीगण की खातेदारी आन 190 रकबा 0.1290 हेक्टेयर भूमि में पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण 20 फीट नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 214 को बिलानाम आराजी नम्बर 179 रकबा 0.1538 हेक्टेयर किस्म रास्ता से जोड़ता है। प्रार्थीगण खातेदार को आराजी नम्बर 214 में जाने का उक्त नवीन रास्ता न्यूनतम दूरी वाला होकर नवीन प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.0244 हेक्टेयर है। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि की मूल्यांकन रिपोर्ट आराजी नम्बर 190 रकबा 0.1295 हैक्टेयर में से 0.0244 हैक्टेयर की डीएलसी 7820000 रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 244 वर्गमीटर के 190808 रूपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 381616 रूपये बनती है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, मौका पर्चा एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की।

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता नही है जो तहसीलदार की रिपोर्ट में भी बताया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की रिपोर्ट गलत तैयार की गई है। विपक्षी संख्या 1 से 6 की भूमि से प्रार्थीगण का रास्ता कभी नही रहा है। प्रार्थीगण का रास्ता स्वयं की आराजी नम्बर 188 मे है। उसी आराजी से प्रार्थीगण आवागमन करते है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 180 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज आराजी नम्बर 214 रकबा 0.3399 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 7 से 15 के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। विपक्षी संख्या 2 से 4 का कथन है कि आराजी नम्बर 214 पर आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी 190 में से नही है तथा ना ही प्रार्थीगण का आवागमन उक्त आराजीयात से कभी रहा है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नवीन रास्ते के प्रकरण में यह देखा जाता है कि मौके पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है या नही? यदि रास्ता उपलब्ध नही है और खातेदार को रास्ते की अतिआवश्यकता है तब सबसे निकटतम रास्ता दिया जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही था और प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता थी। बिलानाम सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी नम्बर 214 के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी नम्बर 190 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ न्यूनतम दूरी का रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 6 की आराजी नम्बर 190 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0244 हैक्टेयर भूमि बनती है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि की डीएलसी 7820000 रुपये प्रति हैक्टेयर से 190808 रुपये बनते है तथा दुगुनी दर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 244 वर्गमीटर के 381616 रुपये बनते है। उक्त राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 6 को दी जाकर रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम बामणियाखेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 190 रकबा 0.1295 हेक्टेयर भूमि में से 0.0244 हैक्टेयर अर्थात 20 मीटर चौड़ाई से रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 3,81,616/– रूपयें तीन लाख ईक्कासी हजार छः सौ सोलह रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 से 6 को क्षतिपूर्ति के रूप में उक्त भूमि में दर्ज उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:47 IST
Reason: SelfAttested